



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 19431 वर्ष 2025

इंस्पेक्टर ओम प्रकाश

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मोहम्मद उमर खान
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रिट याचिकाकर्ता को 72100/- रुपये के बजाय 64100/- रुपये का वेतन मिल रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी को रिट याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना है।
5. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार कड़ाई से निर्णय ले।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।